न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 100 / 2013 / बाड़मेर

अपीलांट

1. सवा उर्फ सविया पुत्र पूनमाजी (वल्द खूबाजी) जाति मेघवाल निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंटगण

1पताराम पुत्र नैना जाति मेगवंशी
2.मृतक रामेश्वर के कायम मुकाम
2/1श्रीमती देवी पत्नी रामेश्वर
2/2मदन पुत्र रामेश्वर जाति मेगवाल निवासी भगतसिंह सर्कल के पास,नेहरू कॉलोनी, बालोतरा तहसील पचपदरा
2/3श्रीमती लीला पुत्री रामेश्वर पत्नी ओमप्रकाश जाति मेगवाल निवासी जेरला तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
2/4सुरेश पुत्र रामेश्वर जाति मेगवाल निवासी भगतसिंह सर्कल के पास,नेहरू कॉलोनी, बालोतरा तहसील पचपदरा
3.हड़मान पुत्र नैना जाति मेगवंशी
4.मृतक खंगार के कायम मुकाम
4/1अन्तरों बैवा खंगार
4/2ओमप्रकाश पुत्र खंगार
4/3पुखराज पुत्र खंगार
4/4मांगीलाल पुत्र खंगार जातियान मेगवंशी निवासीयान भगतसिंह सर्कल के पास , वार्ड नं. 26 बालोतरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर(राज)
5.मृतक जगमाल उर्फ जगदीश के का.मु.
5/1श्रीमती राधादेवी बेवा जगमाल उर्फ जगदीश
5/2धमेन्द्र पुत्र जगमाल उर्फ जगदीश
5/3जितेन्द्र पुत्र जगमाल उर्फ जगदीश
5/4पिन्टू पुत्र जगमाल उर्फ जगदीश
प्रतिवादी संख्या 5/3, 5/4 अवयस्क जरिये प्राकृतिक अभिभाविका माता श्रीमती राधादेवी बेवा जगमाल उर्फ जगदीश जातियान मेगवंशी निवासीयान भगतसिंह सर्कल के पास, वार्ड नं. 26 बालोतरा तहसील पचपदरा
6.विजयराम पुत्र खीमाराम जाति सरगरा निवासी पाली तहसील पाली जिला पाली
7.बस्ताराम पुत्र भूराराम जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा जिला

Scanned by CamScanner

बाड़मेर (राज.)

8.राज. सरकार जरिये तहसीलदार,
पचपदरा जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 46/2008 बअनवान सवा उर्फ सवीया बनाम मृतक नैना कायम मुकाम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.09.2013 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री लाधूराम पूनिया अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री कपिल श्रीमाली रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 23.09.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलकर्ता वादी के पिता स्व. पूनमाजी की पट्टा की कब्जा काश्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 465 रकबा 102.12 बीघा गांव पचपदरा तहसील पचपदरा (नये खसरा संख्या 499 रकबा 02.15 बीघा, खसरा संख्या 500 रकबा 15.13 बीघा, खसरा संख्या 504 रकबा 19 बीघा, खसरा संख्या 505 रकबा 02.11 बीघा, खसरा संख्या 506 रकबा 05.15 बीघा, खसरा संख्या 507 रकबा 03.02 बीघा कुल रकबा 48.16 बीघा) में अवस्थित है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत खातेदारी घोषणा एवं राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्ती का पेश किया। संवत 2024 में अपीलांट नाबालिग था। अपीलांट के पिता का देहांत हो गया था। अपीलांट का पालन पोषण अपीलांट की भुआ के घर गांव नेवाई में हुआ। इसका फायदा उठाकर आधी भूमि नैनाराम ने अपने नाम से करवा दी जबकि ए.आर.ओ.को राजस्व रिकॉर्ड में कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। उन्हें केवल प्रष्टियों के दुहराव करने का अधिकार था। दो पंजीकृत बेचाननामों के आधार पर जरिये नामांतकरण संख्या 316 प्रतिवादीगण के हक दर्ज किया गया लेकिन मूल दस्तावेज पेश नहीं किये गये। उक्त बेचान और नामांतकरण का अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में प्लीडिंग एवं साक्ष्य में हवाला नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं की गई है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के दोनों अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

Scanned by CamScanner

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा बाबत खातेदारी घोषणा एवं राजस्व रिकॉर्ड में दुरस्ती का पेश किया। संवत 2024 में अपीलांट नाबालिग था। अपीलांट के पिता का देहांत हो गया था। अपीलांट का पालन पोषण अपीलांट की भुआ के घर गांव नेवाई में हुआ। इसका फायदा उठाकर आधी भूमि नैनाराम में अपने नाम से करवा दी जबकि ए.आर.ओ.को राजस्व रिकॉर्ड में कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं था। केवल प्रष्टियां के दुहराव करने का अधिकार था। प्रतिवादी ने जबावदावा पेश कर बताया कि पंजीकृत बेचान दस्तावेज संख्या 306/1966, 307/1966 दिनांक 05.11.1966 कर ना तो अंकन किया है और ना ही ऐसे बेचाननामों के आधार पर कब्जा प्राप्त करना बताया है। वास्तव में वादी के पिता ने नैना के नाम से कोई बेचान किया ही नहीं था। दोनों पंजीकृत बेचाननामों के आधार पर जरिये नामांतकरण संख्या 316 प्रतिवादीगण के हक दर्ज किया गया लेकिन मूल दस्तावेज पेश नहीं किये गये। उक्त बेचान और नामांतकरण का अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में प्लीडिंग एवं साक्ष्य में हवाला नहीं है। उक्त बेचान के संबंध में वादी की ओर से सिविल न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया। अपीलाधीन निर्णय में आदेश 08 नियम 1ए(3) सी पी सी के अनुसार कूटरचित बेचाननामों की प्रतियां पेश नहीं हुई जिसके अभाव में उनको पढा जाना न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता। आदेश 08 नियम 02 सी पी सी के अनुसार बेचाननामा का जबावदावा में उल्लेख होना था। धारा 90 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रतिवादी का पक्ष की बेचान 30 साल पुराने है चलने योग्य नहीं है। एक ही आराजी का एक ही व्यक्ति को एक ही दिन में दो बार बेचान नहीं किया जा सकता। दोनों बेचाननामा में भूमि का रकबा भिन्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

AIR 2007 SC Page 2402
CIVIL APPEAL 2342/2017
AIR 2010(SC)(Supp) Page 753
AIR 1970 SC Page 1029
AIR 206 MP 107
AIR 1977 (SC) Page 1724

Scanned by CamScanner

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंटस/प्रतिवादी के हक पूर्वाधिकारी का नाम राजस्व रेकर्ड में सेटलमेंट कर्मचारियों के द्वारा दर्ज कर जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दस्तावेज संख्या 306/1966, 307/1966 जो वादी के पिता के द्वारा प्रतिवादीगण के हक पूर्वाधिकारी नैन वल्द कालू के हक में विवादित भूमियों के रकबे का 1/2 हिस्सा बैचान किया गया, उसी के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में नामांतकरण संख्या 316 दर्ज अंकित किया गया जिसका अंकन जमाबंदी खतौनी में अंकित हुआ। हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट/वादी द्वारा पेश किया गया। रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण को कोई भी तथ्य साबित नहीं करना था, प्रतिवादी/रेस्पोडेंटस मात्र खण्डन कर सही तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने थे। रेस्पोडेंट का नाज राजस्व रिकॉर्ड में सेटलमेंट कर्मचारियों के द्वारा नहीं डालकर एक विधिवत प्रक्रिया के तहत दर्ज हुआ है, यानि रेस्पोडेंट के हक पूर्वाधिकारी का नाम पंजीकृत बेचाननामों जो 40 वर्ष से पूर्व अधिक समय पूर्व के दस्तावेज है, के माध्यम से दर्ज हुए साक्ष्य विधि के अन्तर्गत कोई भी दस्तावेज जो पंजीकृत हो और सुरक्षित अभिरक्षा में रहा हो उसकी सत्य होने की उपधारणा की जावेगी। रेस्पोडेंट द्वारा पेश दस्तावेज को साबित करने की आवश्यकता नहीं थी। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट के नाम हुए पंजीबद्ध विक्रय विलेख को फर्जी एवं कूटरचित बता रहा है लेकिन अपीलांट द्वारा उक्त दस्तावेजों को सिविल कॉर्ट में कोई उज्र नही किया गया है। रेस्पोडेंट के संज्ञान में आते ही दस्तावेज पेश किये गये तथा संबंधित दस्तावेजों को निरस्त करवाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिन दस्तावेजों के आधार पर किया गया वह सही एवं विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। हस्तगत अपील के माध्यम से अपीलांट मामले को येन–केन प्रकारेन लंबा करने की नियत से न्यायालय हाजा में साफ एवं स्वच्छ हाथों से नहीं आया है। अपीलांट की मंशा प्रकरण को अनावश्यक चुनौती देने की है। अतः अपीलांट की अपील को खारिज फरमाया जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर गंभीरतापूर्वक चिंतन/मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 12.04.2017 को निर्णय पारित करने पर उसके विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश की गई जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील/डिक्री/टीए/2017/1929/बाड़मेर दिनांक 17.09.

Scanned by CamScanner

2019 को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि उभयपक्षों को सुनकर पहले इन प्रार्थना–पत्रों का निस्तारण करें उसके बाद विस्तृत निर्णय पारित करे। इन निर्देशों के क्रम में सर्वप्रथम दिनांक 11.12.2019 को दोनों प्रार्थना–पत्रों पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना–पत्र दिनांक 18.12.2019 स्वीकार किये गए। माननीय मण्डल के आदेशों की पालना में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 18.12.2019 निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी पी सी के दोनों प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.04.2016 (FIR रिपोर्ट जिसमें FR स्वीकार हो गई) एवं प्रार्थना–पत्र दिनांक 12.04.2017 (FSL रिपोर्ट) स्वीकार कर लिया। मामले के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उक्त दोनों दस्तावेजात सुसंगत एवं निर्णय में सहायक प्रतीत नहीं होते है। इसके विपरीत अपीलार्थी सवा द्वारा किये गये दो विक्रय विलेख (दिनांक 25.02.2011) जो क्रमशः ग्यारसीदेवी तथा तारादेवी के पक्ष में निष्पादित किये है उसमें उसका कथन है कि "वादग्रस्त खसरा संख्या 504 में उसका 1/2 हक खातेदारी का है।" इस कथन की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय में वर्णित नामांतकरण संख्या 656 के संबंध में दिये निष्कर्ष में भी होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण का अंतिम निर्णय करने से पूर्व तनकीयात कायम की गई तथा तनकीवार पूर्ण विवेचन एवं सारांश सहित निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कायम तनकी संख्या 02, 03, 04 को अपीलांट/वादी सिद्ध करने में असमर्थ रहा। अपीलांट/वादी के हस्तगत वाद का मुख्य बिंदु यह कि द्वितीय सेटलमेंट के दौरान रेस्पोडेंटस का नाम बिना अधिकृत आदेश के जोड़ा जाना बताया है जबकि अभिलेख के अवलोकन से ऐसा कोई साक्ष्य प्रकट नहीं हो पाया है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार नामांतकरण संख्या 316 द्वितीय सेटलमेंट से पूर्व का है। बैचान दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पंजीकृत दस्तावेज विक्रय विलेख संख्या 306/1966 दिनांक 05.11.1966 व 307/1966 दिनांक 05.11.1966 यह साबित करते है कि पूनमाराम ने अपनी खातेदारी भूमि के 1/2 हिस्से की भूमि के हक हकूक नैना के पक्ष में अंतरित किये जिससे वह मात्र 1/2 हिस्से का ही खातेदारी का अधिकार रह गया। पंजीकृत दस्तावेज संख्या 306/1966, 307/1966 दिनांक 05.11.1966 के प्रभाव में रहते अपीलांट/वादी कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध द्वितीय सेटलमेंट संवत 2024 से पूर्व की जमाबंदी संवत 2022–2025 भी अपीलांट/वादी के कथनों के विपरीत है और यही **आधार वक्त सेटलमेंट ए.एस.ओ. के समक्ष दस्तावेज खातेदारी हकूक के विधिक अंतरण प्रस्तुति पर सकारण प्रविष्टि की गई है** जो उनको विधिक अधिकार देती है। ए.एस.ओ. द्वारा की गई **प्रविष्टि संशोधन** राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Scanned by CamScanner

के प्रावधानों के अनुरूप है जिसे अमान्य नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। बैचान दस्तावेजों का भी अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री बाद विवेचन एवं विधि के सिद्धांतों के अनुसार पारित किया गया। **अपीलांट/वादी येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते हैः और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं।** अपीलांट के इस अनावश्यक तथ्य छिपाव रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। उपरोक्त विवेचन एव पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों/अभिलेख के आलोक में अपील अपीलांट खारिज करने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 46/2008 बअनवान सवा उर्फ सवीया बनाम मृतक नैना कायम मुकाम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 25.09.2013 को यथावत रखा जाता है।

23/9/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 23.09.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/9/2020

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner